इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40 रुपए
(आईएसओ 9000-2015 द्वारा प्रमाणित)

व्यावसायिक
उत्कृष्टता के
प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड संख्या 14 अंक संख्या 3 अक्तूबर, 2021 पृष्ठों की संख्या 18

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ----------2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ ----------3
बैंकिंग जगत की घटनाएँ ----------4
विनियामकों के कथन ----------4
आर्थिक संवेष्टन ----------7
नयी नियुक्तियाँ ----------8
विदेशी मुद्रा ---------- 9
शब्दावली ----------10
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ----------10
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ----------10
संस्थान समाचार ----------11
नयी पहलकदमी ----------14
बाजार की खबरें ----------14

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण में विभिन्न प्रकार की न्यूनतम प्रतिधारण आवश्यकताओं का निर्धारण

भारतीय रिजर्व बैंक ने मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के संबंध में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs), अखिल भारतीय मीयादी वित्तीय संस्थाओं, लघु वित्त बैंकों (SFBs) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को छोडकर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को लागू होने वाला मास्टर निदेश जारी किया है।

उक्त मास्टर निदेश में विविध आस्ति श्रेणियों के लिए विशिष्ट न्यूनतम प्रतिधारण आवश्यकता (MRR) निर्धारित की गई है। 24 माह अथवा उससे कम की मौलिक परिपक्वता वाले अंतर्निहित ऋणों के लिए न्यूनतम प्रतिधारण आवश्यकता प्रतिभूत किए जा रहे ऋणों के बही-मूल्य की 5% होगी। ऐसे मामलों में जहां मौलिक परिपक्वता 24 माह से अधिक हो, तथा उनके साथ ही एकबारगी चुकौतियों (Bullet repayments) वाले ऋणों के लिए न्यूनतम प्रतिधारण आवश्यकता प्रतिभूत किए जा रहे ऋणों के बही-मूल्य की 10% होगी। जहां तक निवासीय बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों का संबंध है, न्यूनतम प्रतिधारण आवश्यकता प्रतिभूत किए जा रहे ऋणों के बही-मूल्य की 5% होगी। इस संबंध में मौलिक परिपक्वता विचारणीय नहीं होगी।

बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश : धोखाधडी वाले ऋण आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को

बेच सकते हैं

बैंकों द्वारा वित्त वर्ष 19 और वित्त वर्ष 21 के बीच में कुल 3.95 लाख करोड़ रुपए की धोखाधड़ियों की रिपोर्टिंग किए जाने की पृष्ठभूमि में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत ऋण एक्सपोजरों को आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) को अंतरित करने की अनुमति दे दी है।

बैंक ऐसे दबावग्रस्त ऋणों को अंतरित कर सकते हैं, जो 60 दिनों से अधिक समय से चूक की श्रेणी में आते हों अथवा अंतरण की तिथि को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत ऋण एक्सपोजरों सहित अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत हों। हालांकि, शीर्ष बैंक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रकार के अंतरण अंतरणकर्ता (बैंकों) को धोखाधड़ियों के संबंध में वर्तमान अनुदेशों के अनुसरण में स्टाफ की जवाबदेही को सुधारने से मुक्त नहीं कर देते।

इसके अतिरिक्त, जब ऋणदाताओं और (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों सहित) अनुमत अधिगृहीताओं (acquirers) के बीच द्विपक्षीय बातचीत से तय 100 करोड़ रुपए से अधिक के दबावग्रस्त ऋण अंतरित किए जाते हों, तो उक्त लेनदेन को आवश्यक रूप से स्विस चुनौती पद्धति (Swiss Challenge method) के माध्यम से एक ऐसी नीलामी के उपरांत किया जाना चाहिए जिसके तहत दबावग्रस्त आस्ति की बिक्री हेतु द्विपक्षीय रूप से तय कीमत अन्य क्रेताओं से प्रति-प्रस्ताव आमंत्रित करने हेतु न्यूनतम कीमत होगी।

भारतीय रिजर्व बैंक के नए दिशानिर्देशों के तहत उक्त ऋण एक निश्चित न्यूनतम धारण अवधि (MHP) के अनुपालन में अंतरित किए जा सकते हैं। 2 वर्षों तक के परिपक्वता काल (tenor) वाले ऋणों के मामले में न्यूनतम धारण अवढ़ी तीन माह की होगी, जबकि 2 वर्ष से अधिक के परिपक्वता काल वाले ऋणों के लिए न्यूनतम धारण अवधि 6 माह की होगी। ऐसे ऋणों के मामले में जहां प्रतिभूति मौजूद न हो अथवा उसे पंजीकृत न कराया जा सकता हो, न्यूनतम धारण अवधि की गणना ऋण की पहली चुकौती तिथि से की जाएगी।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियां

भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड-टोकनीकरण सेवाओं के लिए दिशानिर्देश कठोर बनाए

कार्ड-टोकनीकरण सेवाओं के संबंध में वर्तमान ढांचे को और बढ़ाने के एक प्रयास में भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड-आन-फाइल टोकनीकरण (CoFT) सेवाओं के संबंध में उपकरण-आधारित टोकनीकरण ढांचे को विस्तारित कर दिया है। उपकरण-आधारित ढांचे की सूचना जनवरी, 2019 और अगस्त, 2021 के परिपत्रों के माध्यम से दी गई थी। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड जारीकर्ताओं को कार्ड टोकनीकरण सेवाएँ टोकन सेवा-प्रदाताओं (TSPs) के रूप में प्रदान करने की भी अनुमति दे दी है, किन्तु यह केवल उनके द्वारा अथवा उनसे सम्बद्ध कार्ड जारीकर्ताओं द्वारा जारी कार्डों के लिए ही है। कार्ड डेटा को टोकनीकृत करने अथवा गैर-टोकनीकृत करने की योग्यता को परखने का अधिकार इसी टोकन सेवा-प्रदाता में निहित होगा।

ग्राहक डेटा की सुरक्षा बढ़ाने के अलावा कार्ड-आन-फाइल टोकनीकरण ग्राहकों को उसी स्तर की सुविधाएं प्रदान करेगा जो उन्हें वर्तमान में प्राप्त हैं।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

बैंक केवल लिबोर के बजाय किसी भी अन्य वैकल्पिक संदर्भ दर का उपयोग कर सकते हैं : भारतीय रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा का लेनदेन / व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत बैंकों को निर्यात-आयात लेनदेनों में देय ब्याज के लिए लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (लिबोर) के स्थान पर किसी भी अन्य वैकल्पिक संदर्भ दर (ARR) का उपयोग करने की अनुमति दे दी गई है। प्रसार क्षेत्र में इस व्यापकता के बाद बैंक केवल लिबोर पर आश्रित रहने की बजाय संबन्धित मुद्रा में व्यापक रूप से स्वीकृत किसी भी वैकल्पिक संदर्भ दर का उपयोग करते हुये विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण प्रदान करने में समर्थ हो सकेंगे।

विनियामकों के कथन

वहनीय वृद्धि के लिए कोविड प्रेरित असमानता अवश्य दूर की जानी चाहिए : भारतीय

रिजर्व बैंक के गवर्नर

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने कहा है कि जहां भारत की वित्तीय प्रणाली परिपक्व हो रही है और आर्थिक वृद्धि अपनी पटरी पर पुन: वापस आ रही है वहीं वहनीय एवं समावेशी वृद्धि के लिए वैश्विक महामारी द्वारा जनसंख्या पर डाले गए विषम/असममित प्रभाव को आवश्यक रूप से दूर किया जाना चाहिए।

गवर्नर ने विनिर्माण के लिए सरकार की उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना की सराहना की है, जिसने भारत को अधिकांश अग्रणी वैश्विक मोबाइल फोन विनिर्माताओं की मेजबानी करने में समर्थ बनाया है, इसप्रकार उससे भारत मोबाइल फोनों का आयातक होने की बजाय उनका निर्यातक बन गया है। हालांकि, वे यह मत व्यक्त करते हैं कि इस योजना से लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों एवं कंपनियों को आवश्यक रूप से इस अवसर का उपयोग अपनी कार्यकुशलता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढाने के लिए करना चाहिए, ताकि उससे होने वाले लाभों को एकल आदेश उत्पादन (one-off) बनाने की बजाय दीर्घजीवी एवं टिकाऊ बनाया जा सके।

वैश्विक महामारी द्वारा प्रेरित बढ़ती असमानता पर प्रकाश डालते हुये उन्होंने यह कहा कि उक्त वैश्विक महामारी का प्रमुख प्रतिकूल प्रभाव संपर्क-प्रधान सेवा क्षेत्रों पर पड़ा है जिसमें काफी बड़ी संख्या में अनौपचारिक, अल्प-कौशलयुक्त तथा अल्प-मजदूरी वाले कामगारों का समावेश है। इसी के साथ स्वास्थ्य-रक्षा सुविधा के अभाव ने कतिपय उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में गरीबों के पारिवारिक बजट को गैर-आनुपातिक रूप से प्रभावित कर दिया।

वे चेतावनी देते हैं कि जहां अधिकाधिक स्वचालन के परिणामस्वरूप समग्र उत्पादकता में वृद्धि होगी, वहीं इसके विपरीत स्थिति में इससे श्रम बाजार में मंदी भी आ जाएगी। इसप्रकार, कार्यबल में महत्ववपूर्ण कौशल निखार एवं प्रशिक्षण इस समय की आवश्यकता है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) में कुशल कार्यबल की मांग में त्वरित गति से वृद्धि हो रही है। पारंपरिक शिक्षा इस मांग को पूरी करने में पर्याप्त नहीं होगी। इसलिए कारपोरेट घरानॉ के लिए बदलती औद्योगिक दृश्यावली के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने मे सहायता करने हेतु आगे आने की आवश्यकता होगी।

गवर्नर ने इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य-रक्षा, शिक्षा, नवोन्मेष, भौतिक एवं

डिजिटल मूलभूत सुविधा में निवेश को भरपूर बढ़ाने का आह्वान किया है।

सद्य: प्रवर्तित लेखा समाकलक प्रणाली भारत की ऋण दृश्यावली और डिजिटल अर्थव्यवस्था को रूपांतरित कर सकती है

एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ (UPI) द्वारा भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र जिस प्रकार रूपांतरित हो गया ठीक उसी प्रकार सद्य: प्रवर्तित लेखा समाक़लक़ (AA) प्रणाली से देश में ऋण तक पहुँच और उस पर की जाने वाली कार्रवाई का नवीकरण होने की आशा की जाती है। श्री एम॰ राजेश्वर राव, उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार लेखा समाकलक प्रणाली हमारी उधार प्रणाली के पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाएगी जिसके फलस्वरूप भारत डेटा-समृद्ध होगा और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। श्री राव मत व्यक्त करते हैं कि वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति तभी होगी जब काफी बड़ी संख्या में ग्राहक एवं सूचना-प्रदाता इसमें शामिल हों। "यह महत्वपूर्ण है कि वित्तीय सूचना-प्रदाता (FIP) और वित्तीय सूचना प्रयोक्ता (FIU) इस नवोन्मेषी प्लेटफार्म की प्रचुर संभाव्यता का लाभ उठाएँ।""इस विषय पर बोलते हुये उन्होंने यह कहा कि "ये प्रणालियाँ इष्टतम विधि से केवल तभी कार्य कर सकेंगी जब वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामकों को शामिल करते हुये विभिन्न वित्तीय कंपनियों/ संस्थाओं को साथ लेकर विभिन्न प्रकार के ग्राहक खाते खोले और रखे जाएँ।"

वर्तमान में, आठ भारतीय बैंक वित्तीय सूचना -प्रदाताओं (FIPs) के रूप में लेखा समाकलक पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल हुये हैं। इनमें से चार ने कार्य करना आरंभ कर दिया है, जबकि अन्य वैसा करने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। जीएसटीएन (GSTN) नेटवर्क ने भी इस नेटवर्क पर वित्तीय सूचना-प्रदाता होने के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

सीबीडीसी नवोन्मेष को बढ़ावा दे सकती है, चुनौतियों में कमी ला सकती है : भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर

भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री टी॰ रबी शंकर ने कहा है कि किसी विनियामक का कार्य तब जटिल हो जाता है जब कोई वित्तीय सेवा वित्तीय मूल्य शृंखला के स्थिर पुनर्विन्यास के एक अंग के रूप में गैर-वित्तीय फ़र्मों को शामिल करने के लिए अपने प्रसार-क्षेत्र को व्यापक बनाती है। डिजिटल वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने वाली फिंटेक फ़र्मों द्वारा किए जाने वाले कार्यों में

विशुद्ध विविधता विनियामक परिमाप को व्यापक बनाना अनिवार्य कर देती है। इसके अतिरिक्त, गैर-वित्तीय फ़र्मों के वित्तीय विनियमनों का अभ्यस्त होने की प्रक्रिया में आने वाले घर्षण इस प्रक्रिया को और चुनौतीपूर्ण बना देते हैं।

श्री रबी शंकर यह मत व्यक्त करते हैं कि किसी नयी प्रौद्योगिकी से होने वाले सामाजिक लाभ अथवा ग्राहकों पर होने वाले उसके प्रभाव को सभी हितधारकों - विनियामको, मौजूदा वित्तीय फ़र्मों तथा नवोन्मेषकारी फिंटेक कंपनियों/संस्थाओं द्वारा भलीभाँति समझा जाना आवश्यक है। उस पृष्ठभूमि में कोई केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा/करेंसी (CBDC) सीमा-पार वाले भुगतानों में नवोन्मेष को बढ़ावा दे सकती है। यह इन लेनदेनों को तात्कालिक बनाने में सहायक हो सकती है और समय-संस्तरों (time-zones) तथा विनिमय दर में अंतरों के रूप में उपस्थित होने वाली चुनौतियों पर काबू पा सकती है। हालांकि, इन अंतरों को प्लेटफार्म-आधारित समाधानो के माध्यम से हल किया/मिटाया जा सकता है।

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक कार्य विभाग की मासिक आर्थिक रिपोर्ट अगस्त, 2021 के अनुसार कुछेक प्रमुख आर्थिक संकेतकों के कार्य-निष्पादन इसके नीचे दर्शाये गए हैं :

- जुलाई, 21 के लिए आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में 9.4% की वृद्धि हुई।
- अगस्त, 21 के अंत में सरकारी प्रतिभूति (G-sec) के प्रतिफल 6.22% पर स्थिर रहे।
- अगस्त, 21 में बैंक ऋण वृद्धि बढ़कर 6.55% हो गई।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक -संयोजित मुद्रास्फीति जुलाई 21 में निवर्तित होकर 5.59% रह गई, जबकि थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति जुलाई 21 में मंदित होकर 11.16% रह गई।

भारत का विदेशी ऋण मार्च के स्तर से 1.6 बिलियन अमरीकी डालर बढ़ा; जून के अंत में 571.3 बिलियन अमरीकी डालर रहा : भारतीय रिजर्व बैंक

भारत का विदेशी ऋण मार्च, 2021 के स्तर से 1.6 बिलियन अमरीकी डालर बढ़कर जून के

अंत में 571.3 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुँच गया। हालांकि, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) अनुपात की तुलना में विदेशी ऋण 31 मार्च के दिन 21.1% से घटकर जून, 2020 के अंत में 20.2% रह गए। भारतीय रुपए की तुलना में अमरीकी डालर में मूल्यवृद्धि के कारण मूल्याकन अभिलाभ 1.7 बिलियन अमरीकी डालर रहा। विदेशी ऋण में वाणिज्यिक उधारों का अंश सर्वाधिक (37.4%) रहा, उसके बाद अनिवासी जमाराशियों का अंश (24.8%) और अल्पावधिक व्यापार ऋण का अंश (17.4%) रहा। 30 जून के दिन दीर्घावधि ऋण (एक वर्ष से अधिक की मौलिक परिपक्वता वाले) 468.8 बिलियन अमरीकी डालर रहे, इसप्रकार, इनमें मार्च के अंत वाले स्तर के मुक़ाबले 0.2 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई। कुल विदेशी ऋण में अल्पावधिक ऋण का अंश मार्च के अंत में 17.7% के मुक़ाबले सीमांत रूप से बढ़कर 30 जून के दिन 17.9% हो गया। हालांकि, विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि की तुलना में अल्पावधिक ऋण (मौलिक परिपक्वता) का अनुपात मार्च, 2021 के अंत में 17.5% से घटकर 16.8% रह गया। अमरीकी डालर में मूल्यवर्गित ऋण जून के अंत में 52.4% के अंश के साथ भारत के विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक बना रहा, जिसके बाद भारतीय रुपए (33.2%), येन (5.8%), विशेष आहरण अधिकार (4.4%) और यूरो (3.4%) के अंश रहे।

भारत के चालू खाते के शेष में अधिशेष दर्ज हुआ : भारतीय रिजर्व बैंक

जून में समाप्त तिमाही में भारत के चालू खाते के शेष में 6.5 बिलियन अमरीकी डालर अर्थात सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 0.9% का अधिशेष दर्ज हुआ। यह अधिशेष प्राथमिक रूप से व्यापार घाटे में संकुचन/कमी तथा सेवाओं की प्राप्ति में वृद्धि के परिणामस्वरूप दर्ज हुआ। मुख्यत: विदेशों में नियोजित भर्तियों द्वारा विप्रेषणों का निरूपण करने वाली निजी अंतरण प्राप्तियों की रकम 20.9 बिलियन अमरीकी डालर थी। यह रकम एक वर्ष के पहले के उनके स्तर से 14.8% की वृद्धि दर्शाती है। वित्तीय लेखे में निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में 2020-21 की पहली तिमाही में 0.5 बिलयन अमरीकी डालर के बहिर्वाह के समक्ष 11.9 बिलियन अमरीकी डालर का अंतर्वाह दर्ज हुआ।

नयी नियुक्तियाँ

अधिकारी का नाम	पदनाम
सुश्री हर्षा भूपेन्द्र बंगारी	प्रबंध निदेशक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	24 सितम्बर, 2021 के दिन करोड रुपए	24 सितम्बर, 2021 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
कुल प्रारक्षित निधियाँ	4709016	638646
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	4252509	576731
(ख) सोना	275988	37430
(ग) विशेष आहरण अधिकार	142889	19379
(घ) अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	37630	5106

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

अक्तूबर, 2021 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें
विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.18900	0.40300	0.67600	0.91200	1.08800
जीबीपी	0.39160	0.7407	0.8444	0.9274	0.9849
यूरो	-0.49000	-0.420	-0.340	-0.260	**-0.190**
जापानी येन	-0.01130	-0.028	-0.034	-0.039	0.046
कनाडाई डालर	0.51000	0.96800	1.235	1.432	1.562
आस्ट्रेलियाई डालर	0.09750	0.313	0.553	0.826	1.028
स्विस फ्रैंक	-0.64750	-0.573	-0.470	-0.368	-0.270
डैनिश क्रोन	-0.13470	-0.0965	-0.0280	0.0435	0.1175
न्यूजीलैंड डालर	1.12250	1.443	1.650	1.788	1.893
स्वीडिश क्रोन	-0.02600	0.122	0.249	0.374	0.497
सिंगापुर डालर	0.29800	0.560	0.890	**1.145**	1.310
हांगकांग डालर	0.26000	0.450	0.720	0.935	1.115
म्यामार	1.98500	2.220	2.470	2.660	2.790

स्रोत : www.fedai.org.in

शब्दावली

स्विस चुनौती पद्धति (swiss challenge method)

स्विस चुनौती पद्धति /स्विस चैलेंज पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमे प्रत्यय पत्र (credential) वाला कोई भी व्यक्ति सरकार को विकास प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। वह प्रस्ताव आनलाइन विधि से प्रस्तुत किया जाएगा और दूसरा व्यक्ति उस प्रस्ताव को सुधारने और निरस्त करने हेतु सुझाव दे सकता है। इस पद्धति को न केवल उन परियोजनाओं में लागू किया जा सकता है जिन्हें सरकारी-निजी भागीदारी (PPP) के आधार पर शुरू किया जाता है, अपितु इसका उपयोग सरकारी-निजी भागीदारी को आगे बढ़ाने के लिए उन क्षेत्रों में भी किया जा सकता है जो सरकारी-निजी भागीदारी ढांचे में शामिल न हों।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

थेटा

थेटा किसी विकल्प (option) अथवा उसके प्रीमियम के मूल्य में समय ह्रास (time decay) की दर को मापता है। समय जैसे -जैसे बीतता है किसी विकल्प के लाभदायक अथवा इन दि मनी होने का अवसर कम होता जाता है। थेटा किसी एकल विकल्प के लिए हमेशा नकारात्मक/ऋणात्मक होता है, क्योंकि समय उसी दिशा में आगे बढ़ता है। किसी व्यापारी द्वारा जैसे ही कोई विकल्प खरीदा जाता है घड़ी आगे बढ़ाना शुरू कर देती है तथा उस विकल्प का मूल्य पूर्व-निर्धारित समापन तिथि को जब तक कि उसका समापन न हो जाए, वह निर्मूल्य न हो जाए, तत्काल ह्रासित होने लगता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

अक्तूबर, 2021 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	**तिथियाँ**	**स्थान**
वित्तीय सेवाओं में जोखिम	11 से 13 अक्तूबर, 2021	प्रौद्योगिकी पर आधारित

शहरी सहकारी बैंकों के मामले में अभिशासन, चुनौतियाँ और आगे की राह	20 से 21 अक्तूबर, 2021	प्रौद्योगिकी पर आधारित
धन-शोधन निवारण (AML) और अपने ग्राहक को जानिए (KYC)	अक्तूबर, 20 से 21 2021	प्रौद्योगिकी पर आधारित
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उधार और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अग्रिमों की पुनरसंरचना	20 से 22 अक्तूबर, 2021	प्रौद्योगिकी पर आधारित
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्त	25 से 26 अक्तूबर, 2021	प्रौद्योगिकी पर आधारित
नैतिक प्रथाएँ और अच्छा अभिशासन - महत्व एवं जागरूकता -पोष (POSH	29 से 30 अक्तूबर, 2021	प्रौद्योगिकी पर आधारित

संस्थान समाचार

2021 की परीक्षाओं से संशोधित सीएआईआईबी चयनात्मक विषय

संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे सीएआईआईबी के चयनात्मक विषयों की संख्या 11 विषयों से घटाकर 6 विषय करते हुये उसे युक्तिसंगत कर दिया गया है। 2021 और उसके बाद संचालित परीक्षाओं के लिए केवल 6 चयनात्मक विषय उपलब्ध कराये जाएंगे। खुदरा बैंकिंग में डिजिटल बैंकिंग पाठ्यचर्या का भी समावेश होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले से ही इन पाँच चयनात्मक विषयों में से कोई भी एक ऐसा विषय चुन रखे हैं जिसे 2021 की परीक्षाओं से हटा दिया गया है, उन्हें ऊपर वर्णित 6 चयनात्मक विषयों में से कोई भी एक विषय चुनना होगा। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

सब के लिए ई-शिक्षण सुविधा

संस्थान ने "सब के लिए ई-शिक्षण" की ऐसी सुविधा की शुरूआत की है जिसमें सदस्यता की स्थिति या परीक्षा हेतु पंजीकरण की स्थिति चाहे जैसी भी क्यों न हो, कोई भी व्यक्ति संस्थान द्वारा तैयार किए गए बैंकिंग एवं वित्त से संबन्धित विविध सम-

सामयिक विषयों पर ई-शिक्षण माँड्यूल का लाभ उठा सकता है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

जीएआरपी, यूएसए के साथ सहयोग

संस्थान ने जेएआईआईबी अथवा सीएआईआईबी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 300 अमरीकी डालर के बट्टाकृत शुल्क पर वित्तीय जोखिम एवं विनियमन (FRR) पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने हेतु ग्लोबल एसोसिएशन आफ रिस्क प्रोफेशनल (GARP), संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। उक्त वित्तीय जोखिम एवं विनियमन पाठ्यक्रम जोखिम प्रबंधन अर्थात ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम तथा आस्ति और देयता प्रबंधन (ALM) के मुख्य पहलुओं पर विहगावलोकन उपलब्ध कराता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

एक्सएलआरआई, जमशेदपुर के साथ सहयोग

संस्थान ने बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए "नेतृत्व विकास कार्यक्रम (Leadership Development Program)" संचालित करने हेतु एक्सएलआरआई, जमशेदपुर के साथ सहयोग का एक करार किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बैंकों में अच्छे प्रबन्धकों को मानव-केन्द्रित दृष्टिकोण के साथ एक प्रभावी अग्रणी (leader) के रूप में रूपांतरित करना है। प्रौद्योगिकी पर आधारित विधि से सप्ताह के अंत में आयोजित किए जाने वाले इस कार्यक्रम की अवधि 36 घंटों की होगी, जो 6 सप्ताहों तक विस्तारित होगी। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षा विधि के अधीन दो प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों की शुरूआत

अक्तूबर, 2021 से दो नयी प्रमाणपत्र परीक्षाएँ परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षा (RPE) विधि से आयोजित की गईं। दोनों नए विषय हैं :रणनीतिक प्रबंधन और बैंकिंग एवं उभरती प्रौद्योगिकियों मेन नवोन्मेष (स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड इन्नोवेशन्स इन बैंकिंग एण्ड इमरजिंग टेक्नोलोजीस। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

व्यावसायिक बैंकर अर्हता की शुरूआत

संस्थान ने एक ऐसी सुनहरी महत्वाकांक्षी अर्हता की शुरूआत की है जो शिक्षण एवं ज्ञान के क्षेत्र में परमोत्कर्ष का प्रतीक होगी। व्यावसायिक बैंकर के नाम से जानी जाने वाली यह अर्हता मध्यम प्रबंधन स्तर में लंबे समय से अनुभव किए जा रहे कौशल अंतर को भरने के लिए एक विशिष्ट अर्हता है और यह बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्रों में निर्णायक ज्ञान उपलब्ध कराएगी। व्यावसायिक बैंकर की हैसियत पाने के इच्छुक किसी बैंकर को पाँच वर्षों का अनुभव रखना जरूरी होता है।

बैंक क्वेस्ट विश्वविद्याल अनुदान आयोग के जर्नलों की केयर सूची में शामिल

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के तिमाही जर्नल बैंक क्वेस्ट को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के समूह बी वाले जर्नलों की केयर सूची में शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सावित्री फुले पुणे विश्वविद्यालय
(SPPU) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – शैक्षिक एवं शोध नीति-शास्त्र संकाय UGC- Consortium for academic and Research Ethics) सृजित करने हेतु प्रकाशन नीति-शास्त्र केंद्र (CPE), में जर्नलों के विश्लेषण के लिए एक कक्ष की स्थापना की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूचना के अनुसार सभी शैक्षिक प्रयोजनों के लिए केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की केयर सूची में समाविष्ट जर्नलों के शोध प्रकाशनों का ही उपयोग किया जाना चाहिए।

आगामी अंक के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तुयँ

बैंक क्वेस्ट के जुलाई-सितंबर, 2021 तिमाही के लिए के आगामी अंक हेतु विषय-वस्तु है: इवोल्यूशन एंड फ्यूचर आफ मानेटरी एंड फिस्कल पालिसीज -उप-विषयवस्तु रेग्यूलेटरी फ्रेमवर्क, मानेटरी फ्रेमवर्क, फिस्कल फ्रेमवर्क

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान मेँ इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं

से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से **समाधान** करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि

(i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2021 से जुलाई, 2021 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक//कों द्वारा

जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 2020 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा। (ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2021 से जनवरी, 2022 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2021 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नई पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या : 69228/1998 के अधीन पंजीकृत

बाजार की खबरें

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

2021	2021	2021	2021	2021	2021
अमरीकी डालर		जीबीपी		यूरो	येन

स्रोत : एफबीआईएल

भारित औसत मांग दरें

3.18
3.17
3.16
3.15
3.14
3.13
3.12
3.11
3.1

अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर
2021	2021	2021	2021	2021	2021

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

समग्र जमा वृद्धि %

12.5
12
11.5
11
10.5
10
9.5
9
8.5
8

मार्च 2021 अप्रैल 2021 मई 2021 जून 2021 जुलाई 2021 अगस्त 2021

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकोनामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, सितम्बर, 2021

कच्चा तेल - वृद्धि %

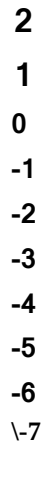

मार्च 2021 अप्रैल 2021 मई 2021 जून 2021 जुलाई 2021 अगस्त 2021

स्रोत : पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय

बैंक ऋण वृद्धि %

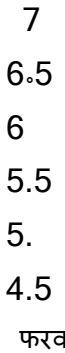

फरवरी 2021 मार्च 2021 अप्रैल 2021 मई 2021 जून 2021 जुलाई 2021

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

बंबई शेयर बाजार सूचकांक और निफ्टी 50

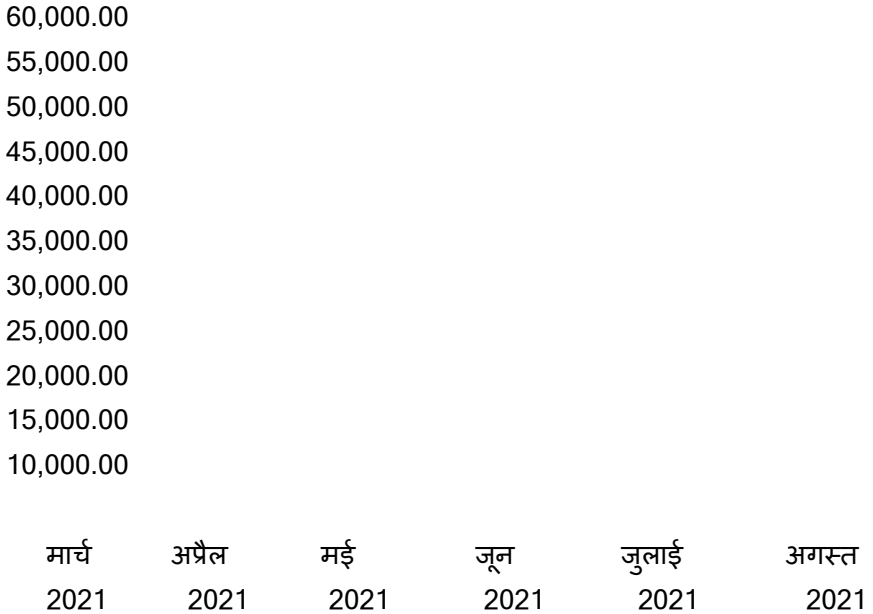

स्रोत : बंबई शेयर बाजार (BSE) और निफ्टी

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

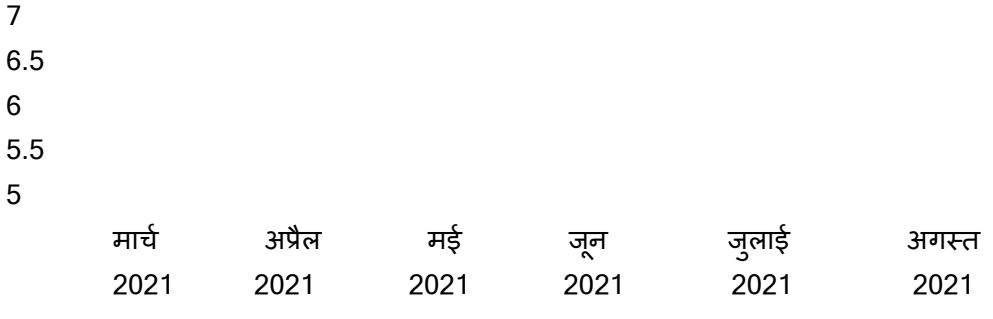

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकोनामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, सितम्बर, 2021

प्रारक्षित स्वर्ण निधि वृद्धि %

प्रारक्षित स्वर्ण निधि वृद्धि %

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

बिश्व केतन दास द्वारा मुद्रित, बिश्व केतन दास द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम),,मुंबई – 400 070 से प्रकाशित।
संपादक : विश्व केतन दास

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल,
किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), ,मुंबई – 400 070
टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : admin@iibf.org.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in

.